

अज्ञ अदालत उपखण्ड अधिकारी अंराई

मुकाम अराई (अजमेर)

• हनुमान पुत्र श्री किशनलाल उर्फ किशना, जाति जाट आयु 43 साल निवासी ग्राम डांग, तहसील अराई

-प्रार्थी

बनाम

• लाडा पत्नि किशना जाति जाट निवासी ग्राम डांग तहसील अराई जिला अजमेर व अन्य

-अप्रार्थीगण।

किस्म मुकदमा- धारा 88,188,209 राज0 का0 अधि0 1955

नंबर 85/2025

ऑनलाइन नंबर 2025/145...

वकील प्रार्थी:- योगेश शर्मा

वकील अप्रार्थीगण.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17/12/2025	<p>यह वाद पत्र वादी की ओर से वकील वादी श्री योगेश शर्मा ने अन्तर्गत धारा 88,188,209 राज.का. अधि. 1955 के तहत पेश किया गया। वाद पत्र पर वकील वादी को सुना गया तथा पेश दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा वादीगणों की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 03.11.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">W/S उपखण्ड अधिकारी अराई</p> <p>प्रार्थी के पत्र पर पत्रावली का पत्र है। वादी प्रार्थी ने आपास में उपखण्ड अदालत में किया कि मैं अब प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहता हूँ। अतः वादी के पत्रावली पर वादी का वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली केवल शुद्ध होकर न खारिज कर दी। W/S</p>	<p>नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p> <p>मैं कोई कार्यवाही नहीं चाहता। W/S</p>